हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प - ग्वालनाडा मे पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित, पक्षकारान को सुना गया।

वादी मनोहरसिंह ने अपने वादपत्र मे जाहिर किया है कि वादी व प्रतिवादी के पुश्तैनी खेत खसरा नं० 4 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 6 रकबा 34 बीघा 16 बिस्वा खसरा नं. 240 रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 432 रकबा 48 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा ग्वालनाडा में स्थित है। जो भूमि स्व. हीरसिंह से वादीगण व प्रतिवादीगण के हक हिस्से में जरिये उत्तराधिकार हासिल हुई है -

हीरसिंह
- नारायणसिंह
  - उमेदसिंह
  - मनोहरसिंह
- मूलसिंह
  - बाबूलाल उर्फ प्रतापसिंह
    - राजूसिंह
    - सायरकंवर
  - रामचन्द्र
    - भंवरसिंह
    - भैतानसिंह
    - पुखराजसिंह
    - केसरकंवर (पत्नी)

अंकित सजरा के मुताबिक वादी का वादग्रस्त भूमि मे 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का भी 1/4 हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण के साथ है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 4 ता 7 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 व वादी के मध्य उनके पिता के जीवन काल मे करीब 50 वर्ष पूर्व हुए बंटवाडा के अनुसार खेत खसरा नं. 432 मे वादी व प्रतिवादी सं. 1 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार खसरा नं. 6 मे भी वादी व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा बतौर खातेदारी मे अंकित है। इसी कारण - आपसी सुविधा व सहूलियत के मुताबिक खेत खसरा नं. 6 का 1/2 हिस्सा अर्थात 1/4 हिस्सा वादी का व 1/4 हिस्सा उक्त प्रतिवादी सं. 1 का उसके हिस्से में दे दिया। और इसी मुजब इसके बदले मे प्रतिवादी सं. 1 का खसरा नं. 432 में 1/4 हिस्सा वादी को वादी के हिस्से वादी ~~के~~ के ~~हक~~ हिस्से के साथ वादी के हक में जरिये बंटवाडा के दिया गया।

वादी की इस्तदुआ है कि डिक्री वादी के हक मे विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे कि खेत खसरा नं. 4 रकबा 48 बीघा 12 बिस्वा, मे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर उसके स्थान पर वादी का नाम घोषित किया जावे व इसी मुजब खसरा नं. 6 रकबा 34 बीघा 16 बिस्वा वाके मौजा ग्वालनाडा की भूमि मे से वादी का नाम हटाया जाकर वादी के स्थान पर प्रतिवादी का नाम घोषित किया जावे। व इसी मुजब राजस्व अभिलेख मे दुरस्ती की जावे। वादग्रस्त खेत खसरा नं. 432 व अन्य वादग्रस्त भूमि मे वादी के उपयोग व उपभोग मे प्रतिवादी सं. 1 व अन्य दखलदाजी न तो स्वयं पैदा करे न ही औरो से करावे।

उक्त आशय का वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर - प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

(प्यारे लाल जाट)
... लोक अदालत - 2017
... पदेन सहायक कलेक्टर

जिस पर प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने माफिक इकरारनामा वादी दावा स्वीकार का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 5 ता 7 ने अपने जवाब में जाहिर किया है कि प्रतिवादी सं 4 ता 7 का वादग्रस्त खसरात की भूमि में 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 व 3 का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा है जो बाईं मिटरा एण्ड बाउण्ड्री तरमीम करके अलग कर दी जावे।

पक्षकारान उपस्थित, पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान की आपसी सहमति से प्रत्येक खसरे में निम्नानुसार हिस्सा घोषित किया जाता है -

खसरा नं.	नाम खातेदार						
	केसाराम	गणपतसिंह	सुमेरसिंह	मगनसिंह	किशनसिंह	सौतानसिंह	राजूसिंह
4 / 23.12 बीघा	9.17 बीघा	—	4-19 बीघा	—	9.17 बीघा	2-10	2-04
240 / 37.14 बीघा	—	9.08	1.04	8-09	—	9-08	9-09
6 / 34-16 बीघा	—	—	17-09	—	—	8-14	8-14
432 / 48-12 बीघा	—	—	—	24-06	—	12-03	12-03
150-14 बीघा	9.17 बीघा	9.08 बीघा	23.07 बीघा	32.15 बीघा	9.17 बीघा	32.15 बीघा	32.15 बीघा

उपरोक्तानुसार आपसी सहमति से प्रत्येक खसरे में वादी व प्रतिवादी के प्रत्येक खसरे में हिस्सा घोषित किया जाता है, बाद कब्जा के मौके का बंटवारा किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो।

(प्रभाती लाल जाट)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत - 2017
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प....कवालनाडा